



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 895) पटना, शुक्रवार, 6 सितम्बर 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 सितम्बर 2024

एस०ओ० 449, दिनांक 6 सितम्बर 2024—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 173 दिनांक 21 सितम्बर 2017 बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 877 दिनांक 21 सितम्बर 2017 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस०ओ० 231 दिनांक 21 अगस्त 2023 बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 688 दिनांक 21 अगस्त 2023, द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) क्रम संख्या (i) के स्थान पर "(i) अपर/संयुक्त आयुक्त (टेक.) सीजीएसटी एवं सीएक्स, पटना-1" शब्दों को रखा जाएगा।
 - (ii) क्रम संख्या (ii) के स्थान पर "(ii) वरीयतम अपर आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना" शब्दों को रखा जाएगा।
2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-18) 3932)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 सितम्बर 2024

एस० ओ०.449, दिनांक 6 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-18)3932)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 6th September 2024

S.O.449 Dated 6th September 2024—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September 2017 and last amended vide notification S.O. 231, dated the 21st August 2023, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 688, dated the 21st August 2023, namely :-

In the said Notification,

- (i) for serial no. (i), the words “(i) Additional/Joint Commissioner (Tech.), CGST & CX, Patna-1” shall be substituted.
 - (ii) for serial no. (ii), the words “(ii) Senior most Additional Commissioner (Appeal), Central Division, Patna” shall be substituted.
2. This notification shall come into force from the date of its notification.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-18) 3932)]

**By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 895-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>